



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
डी-1/ई-1/2026
दिनांक 18.08.2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 18.08.2026

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि: 01.09.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि: 08.09.2026

अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि और समय: 15.09.2026 (सायं 05:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीओआरओ नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीओआरओ नम्बर प्राप्त कर लें।
(c) ओटीओआरओ नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।
(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

नोट— (1) अभ्यर्थीगण ऑन—लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन—लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन—लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व—प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा किये जाने की अंतिम तिथि के सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा हाथों—हाथ आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(2) आयोग की वेबसाइट पर 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' पर login कर autofilled पता पत्नी को download कर व उसका प्रिन्टआउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चस्पा करते हुए आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(3) लिफाफा A-4 साइज का होना चाहिए। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग लिफाफे में अपने आवेदन—पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें, अन्यथा उक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(4) एक ही प्रकार के पद की स्थिति में एक लिफाफे में अभ्यर्थी एक ही आवेदन पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें। एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं अभिलेखादि एक ही लिफाफे में प्रेषित करने पर उक्त आवेदन—पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(5) यदि अभ्यर्थी द्वारा autofilled पता पत्नी (Address Slip) लिफाफे पर चस्पा नहीं की जाती है तो आयोग द्वारा उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

विशेष सूचना — (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑन—लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन—लाइन आवेदन ही करें।

ऑन—लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें—

आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर “ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- 1- User Instructions
- 2- View Advertisement
- 3- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन—लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा—निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन—लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

‘ऑन—लाइन आवेदन’ करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :—

प्रथम चरण :— 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :—

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई—मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो— a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:— प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हताओं भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:— द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:—

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट प्रिन्टर आइकन पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरान्त 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:— ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण:— तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित

रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

- (1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
(3) उ०प्र० लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत् चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।
(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरांत संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।
(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
(9) (क) **स्क्रीनिंग परीक्षा के पश्चात अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन—लाइन आवेदन की हार्ड—कापी के साथ ऑन—लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व—प्रमाणित प्रतियाँ एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**
(ख) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा० आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2— आवेदन शुल्क : ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :—

- (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ — आवेदन शुल्क रु 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/-
अन्य पिछड़ा वर्ग — योग = रु0 105/-
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति — आवेदन शुल्क रु0 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/-
योग = रु0 65/-
(iii) दिव्यांग श्रेणी — आवेदन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/-
योग = रु0 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक — आवेदन शुल्क रु0 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/-
योग = रु0 65/-
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के — अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० (एलोपैथी)

पद का नाम: आचार्य, पदों की संख्या— 44, पद का स्वरूप— समूह 'क' राजपत्रित, वेतनमान— पे—मैट्रिक्स लेवल—14, आयु सीमा— 35 से 55 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है)।

विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है:—

सामान्य चयन

क्र. सं.	आचार्य (प्रोफेसर) (स्पेशियलिटी)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	ऑपथलमोलॉजी	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/1
2	इन्डोक्रिनोलॉजी (ड्यूमन मेटाबोलिज्म)	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/2
3	इमरजेन्सी मेडिसिन	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/3
4	एनार्टोमी	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/4
5	एनेस्थीसियोलॉजी	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/5
6	ओटो—राइनो—लैरिंगोलॉजी (ई०ए०ए०टी०)	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/6
7	कम्यूनिटी मेडिसिन	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/7
8	कार्डियक एनेस्थीसिया	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/8
9	कार्डियोलॉजी	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/9
10	जनरल मेडिसिन	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/10
11	जनरल सर्जरी	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/11

		या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। नोट— कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।	पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु—7 Determination of equivalent qualification of Diplomate of National Board में निहित निम्नलिखित प्राविधान लागू होगा:— (1) The Diplomate of National Board qualification in broad specialty and super specialty shall be considered equivalent to corresponding broad specialties and super specialties academic qualifications specified in Table A, Table B, Table C, and Table D of the Schedule, When awarded by the national Board of Examinations after training in a medical institution with an attached hospital or in a hospital having a bed strength of 500 or more. (2) For the purposes of equivalence in teaching, persons holding a Diplomate of National Board qualification in broad specialty obtained from medical institutions with a bed strength of less than 500 shall be required to complete an additional one-year senior residency in a recognised medical institution in the relevant specialty. (4) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु—18 “समकक्ष विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताएँ” से आच्छादित अर्हतायें भी समकक्ष मानी जायेंगी :- Any person who has acquired Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery qualification in India and obtained recognised medical qualification (eligible for registration in India) from any of the five English speaking countries such as the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand, shall be eligible for appointment as Assistant Professor or Senior Resident in a medical institution in India in the respective specialty: Provided that any such person having teaching experience of one year and registered in any such country, to practice in that specialty, may be exempted from the requirement of mandatory one year experience of Senior Residency, for eligibility for the post of Assistant Professor: Provided further that in the case of- (a) United Kingdom, such person possesses the Certificate of Completion of Specialist Training or equivalent training with final Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians qualification and registered in that country to practice in that specialty, (b) United States of America and Canada, (i) such person possesses Doctor of Medicine degree with Residency Training Certificate in the relevant specialty in the United States of America; and (ii) for super specialties, has completed Residency Training Programme along with accredited Fellowship Programme in the relevant super specialty; (c) Australia and New Zealand, - (i) such person has completed the supervised training programme culminating in the Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians of the respective specialty; and (ii) for super specialties, has at atleast two years of supervised sub specialty Fellowship programme in the respective sub specialty. (5) "Research publication" means only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed Central, Science Citation Index, Citation Index, Expanded Embase, Scopus or Directory of Open Access Journals and other such journals as may be specified by the Commission from time to time; (6) Any faculty having super specialty qualification and serving in a recognised medical institution in a broad specialty department shall be eligible to be a faculty of equivalent cadre of the concerned super specialty department.																																																																				
26	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	डी०एम० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।	पद की संगत सेवा नियमावलियाँ ● उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित) 2. चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० (एलोपैथी) पद का नाम: सहायक आचार्य, पदों की संख्या— 1112, पद का स्वरूप— समूह 'क' राजपत्रित, वेतनमान— पे—मैट्रिक्स लेवल—11, आयु सीमा— 26 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है।) विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है:— सामान्य चयन <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>सहायक आचार्य (स्पेशियलिटी)</th><th>श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या</th><th>विभाग संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>आर्थोपेडिक्स</td><td>कुल—39, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—18, अनु० जाति—08, अ०पि०वर्ग—10, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07</td><td>एस—8 / 35</td></tr><tr><td>2.</td><td>आपथलमोलॉजी</td><td>कुल—29, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—16, अनु० जाति—06, अ०पि०वर्ग—5, ई०डब्ल्यू०एस०—02, क्षैतिज आरक्षण: महिला—05</td><td>एस—8 / 36</td></tr><tr><td>3.</td><td>आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी</td><td>कुल—65, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—30, अनु० जाति—13, अनु० जनजाति—01, अ०पि०वर्ग—15, ई०डब्ल्यू०एस०—06, क्षैतिज आरक्षण: डी०एफ०एफ०—01, महिला—13</td><td>एस—8 / 37</td></tr><tr><td>4.</td><td>ए०एन०एम०ओ० कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)</td><td>कुल—10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—06, अनु० जाति—01, अ०पि०वर्ग—02, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—02</td><td>एस—8 / 38</td></tr><tr><td>5.</td><td>एम०डब्ल्यू०ओ० कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)</td><td>कुल—10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—05, अनु० जाति—02, अ०पि०वर्ग—02, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—02</td><td>एस—8 / 39</td></tr><tr><td>6.</td><td>एन्डोक्राइन सर्जरी</td><td>कुल—03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—03, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।</td><td>एस—8 / 40</td></tr><tr><td>7.</td><td>एन्डोक्रिनोलॉजी (हयूमन मेटाबोलिज्म)</td><td>कुल—07, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—05, अनु० जाति—01, अ०पि०वर्ग—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—01</td><td>एस—8 / 41</td></tr><tr><td>8.</td><td>इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन (ब्लड बैंक)</td><td>कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य</td><td>एस—8 / 42</td></tr><tr><td>9.</td><td>इमरजेन्सी मेडिसिन</td><td>कुल—35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—16, अनु० जाति—07, अ०पि०वर्ग—09, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07</td><td>एस—8 / 43</td></tr><tr><td>10.</td><td>एनार्टोमी</td><td>कुल—18, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—13, अनु० जाति—03, अ०पि०वर्ग—01, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—03</td><td>एस—8 / 44</td></tr><tr><td>11.</td><td>एनेस्थीसियोलॉजी</td><td>कुल—90, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—46, अनु० जाति—14, अनु० जनजाति—01, अ०पि०वर्ग—20, ई०डब्ल्यू०एस०—09, क्षैतिज आरक्षण: डी०एफ०एफ०—01, महिला—18</td><td>एस—8 / 45</td></tr><tr><td>12.</td><td>ओटो—राइनो—लैरिंगोलॉजी (ई०एन०टी०)</td><td>कुल—24, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—13, अनु० जाति—04, अ०पि०वर्ग—05, ई०डब्ल्यू०एस०—02, क्षैतिज आरक्षण: महिला—04</td><td>एस—8 / 46</td></tr><tr><td>13.</td><td>कम्युनिटीमेडिसिन</td><td>कुल—35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—21, अनु० जाति—06, अ०पि०वर्ग—05, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07</td><td>एस—8 / 47</td></tr><tr><td>14.</td><td>इपीडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य</td><td>कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।</td><td>एस—8 / 48</td></tr><tr><td>15.</td><td>एम०ओ०एच० कम सहायक आचार्य (आर०एच०टी०सी०)</td><td>कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित— 02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।</td><td>एस—8 / 49</td></tr><tr><td>16.</td><td>एम०ओ०एच० कम सहायक आचार्य (यू०एच०टी०सी०)</td><td>कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।</td><td>एस—8 / 50</td></tr></table>	क्र. सं.	सहायक आचार्य (स्पेशियलिटी)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या	1	आर्थोपेडिक्स	कुल—39, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—18, अनु० जाति—08, अ०पि०वर्ग—10, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07	एस—8 / 35	2.	आपथलमोलॉजी	कुल—29, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—16, अनु० जाति—06, अ०पि०वर्ग—5, ई०डब्ल्यू०एस०—02, क्षैतिज आरक्षण: महिला—05	एस—8 / 36	3.	आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	कुल—65, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—30, अनु० जाति—13, अनु० जनजाति—01, अ०पि०वर्ग—15, ई०डब्ल्यू०एस०—06, क्षैतिज आरक्षण: डी०एफ०एफ०—01, महिला—13	एस—8 / 37	4.	ए०एन०एम०ओ० कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	कुल—10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—06, अनु० जाति—01, अ०पि०वर्ग—02, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—02	एस—8 / 38	5.	एम०डब्ल्यू०ओ० कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	कुल—10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—05, अनु० जाति—02, अ०पि०वर्ग—02, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—02	एस—8 / 39	6.	एन्डोक्राइन सर्जरी	कुल—03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—03, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस—8 / 40	7.	एन्डोक्रिनोलॉजी (हयूमन मेटाबोलिज्म)	कुल—07, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—05, अनु० जाति—01, अ०पि०वर्ग—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—01	एस—8 / 41	8.	इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन (ब्लड बैंक)	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	एस—8 / 42	9.	इमरजेन्सी मेडिसिन	कुल—35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—16, अनु० जाति—07, अ०पि०वर्ग—09, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07	एस—8 / 43	10.	एनार्टोमी	कुल—18, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—13, अनु० जाति—03, अ०पि०वर्ग—01, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—03	एस—8 / 44	11.	एनेस्थीसियोलॉजी	कुल—90, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—46, अनु० जाति—14, अनु० जनजाति—01, अ०पि०वर्ग—20, ई०डब्ल्यू०एस०—09, क्षैतिज आरक्षण: डी०एफ०एफ०—01, महिला—18	एस—8 / 45	12.	ओटो—राइनो—लैरिंगोलॉजी (ई०एन०टी०)	कुल—24, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—13, अनु० जाति—04, अ०पि०वर्ग—05, ई०डब्ल्यू०एस०—02, क्षैतिज आरक्षण: महिला—04	एस—8 / 46	13.	कम्युनिटीमेडिसिन	कुल—35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—21, अनु० जाति—06, अ०पि०वर्ग—05, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07	एस—8 / 47	14.	इपीडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस—8 / 48	15.	एम०ओ०एच० कम सहायक आचार्य (आर०एच०टी०सी०)	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित— 02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस—8 / 49	16.	एम०ओ०एच० कम सहायक आचार्य (यू०एच०टी०सी०)	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस—8 / 50
क्र. सं.	सहायक आचार्य (स्पेशियलिटी)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या																																																																				
1	आर्थोपेडिक्स	कुल—39, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—18, अनु० जाति—08, अ०पि०वर्ग—10, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07	एस—8 / 35																																																																				
2.	आपथलमोलॉजी	कुल—29, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—16, अनु० जाति—06, अ०पि०वर्ग—5, ई०डब्ल्यू०एस०—02, क्षैतिज आरक्षण: महिला—05	एस—8 / 36																																																																				
3.	आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	कुल—65, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—30, अनु० जाति—13, अनु० जनजाति—01, अ०पि०वर्ग—15, ई०डब्ल्यू०एस०—06, क्षैतिज आरक्षण: डी०एफ०एफ०—01, महिला—13	एस—8 / 37																																																																				
4.	ए०एन०एम०ओ० कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	कुल—10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—06, अनु० जाति—01, अ०पि०वर्ग—02, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—02	एस—8 / 38																																																																				
5.	एम०डब्ल्यू०ओ० कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी)	कुल—10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—05, अनु० जाति—02, अ०पि०वर्ग—02, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—02	एस—8 / 39																																																																				
6.	एन्डोक्राइन सर्जरी	कुल—03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—03, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस—8 / 40																																																																				
7.	एन्डोक्रिनोलॉजी (हयूमन मेटाबोलिज्म)	कुल—07, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—05, अनु० जाति—01, अ०पि०वर्ग—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—01	एस—8 / 41																																																																				
8.	इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन (ब्लड बैंक)	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	एस—8 / 42																																																																				
9.	इमरजेन्सी मेडिसिन	कुल—35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—16, अनु० जाति—07, अ०पि०वर्ग—09, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07	एस—8 / 43																																																																				
10.	एनार्टोमी	कुल—18, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—13, अनु० जाति—03, अ०पि०वर्ग—01, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—03	एस—8 / 44																																																																				
11.	एनेस्थीसियोलॉजी	कुल—90, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—46, अनु० जाति—14, अनु० जनजाति—01, अ०पि०वर्ग—20, ई०डब्ल्यू०एस०—09, क्षैतिज आरक्षण: डी०एफ०एफ०—01, महिला—18	एस—8 / 45																																																																				
12.	ओटो—राइनो—लैरिंगोलॉजी (ई०एन०टी०)	कुल—24, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—13, अनु० जाति—04, अ०पि०वर्ग—05, ई०डब्ल्यू०एस०—02, क्षैतिज आरक्षण: महिला—04	एस—8 / 46																																																																				
13.	कम्युनिटीमेडिसिन	कुल—35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—21, अनु० जाति—06, अ०पि०वर्ग—05, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07	एस—8 / 47																																																																				
14.	इपीडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस—8 / 48																																																																				
15.	एम०ओ०एच० कम सहायक आचार्य (आर०एच०टी०सी०)	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित— 02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस—8 / 49																																																																				
16.	एम०ओ०एच० कम सहायक आचार्य (यू०एच०टी०सी०)	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस—8 / 50																																																																				
27	यूरोलॉजी	एम०सी०एच० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (यूरोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।																																																																					
28	रेडियो— डायग्नोसिस	एम०डी० / डी०एन०बी० (रेडियोडायग्नोसिस) एवं (क)(i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। नोट— कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।																																																																					
29	सर्जिकल आंकोलॉजी	एम०सी०एच० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (सर्जिकल आंकोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।																																																																					
30.	प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी / बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी	एम०सी०एच० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।																																																																					
नोट:— (1) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या 3 / 2021 / 324 / 2021 / 65—3—2021—78 / 99 टी०सी० दिनांक 30.07.2021 के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकन नहीं किया गया है। (2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की संशोधन अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई, 2025 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी जो निम्नवत् है:— "In the department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department, subject to non-availability of medical teachers. "the above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized University as per requirements in Medical Institutions (Qualification of Faculty) Regulations." (3) *राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक																																																																							

[illegible]

[illegible]

		युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए । (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो			(ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो । या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा । या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो । या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो ।
61.	रेडियो—डायग्नोसिस	एम०डी०/ डी०एन०बी०* (रेडियोडायग्नोसिस) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट—1 सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों । नोट—2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता केप्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । नोट—3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो । या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा । या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो । या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो ।	नोट:— (1) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या 3/2021/324/2021/65—3—2021—78/99 टी०सी० दिनांक 30.07.2021 के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकन नहीं किया गया है । (2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की संशोधन अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई, 2025 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी जो निम्नवत है:— "In the department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department, subject to non-availability of medical teachers. 'the above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized University as per requirements in Medical Institutions (Qualification of Faculty) Regulations." (3) *राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु—7 Determination of equivalent qualification of Diplomate of National Board में निहित निम्नलिखित प्राविधान लागू होगा:— (1) The Diplomate of National Board qualification in broad specialty and super specialty shall be considered equivalent to corresponding broad specialties and super specialties academic qualifications specified in Table A, Table B, Table C, and Table D of the Schedule, When awarded by the national Board of Examinations after training in a medical institution with an attached hospital or in a hospital having a bed strength of 500 or more. (2) For the purposes of equivalence in teaching, persons holding a Diplomate of National Board qualification in broad specialty obtained from medical institutions with a bed strength of less than 500 shall be required to complete an additional one-year senior residency in a recognised medical institution in the relevant specialty. (4) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु—18 "समकक्ष विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताएँ" से आच्छादित अर्हतायें भी समकक्ष मानी जायेंगी :— Any person who has acquired Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery qualification in India and obtained recognised medical qualification (eligible for registration in India) from any of the five English speaking countries such as the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand, shall be eligible for appointment as Assistant Professor or Senior Resident in a medical institution in India in the respective specialty: Provided that any such person having teaching experience of one year and registered in any such country, to practice in that specialty, may be exempted from the requirement of mandatory one year experience of Senior Residency, for eligibility for the post of Assistant Professor: Provided further that in the case of- (a) United Kingdom, such person possesses the Certificate of Completion of Specialist Training or equivalent training with final Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians qualification and registered in that country to practice in that specialty, (b) United States of America and Canada, (i) such person possesses Doctor of Medicine degree with Residency Training Certificate in the relevant specialty in the United States of America; and (ii) for super specialties, has completed Residency Training Programme along with accredited Fellowship Programme in the relevant super specialty; (c) Australia and New Zealand, - (i) such person has completed the supervised training programme culminating in the Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians of the respective specialty; and (ii) for super specialties, has at atleast two years of supervised sub specialty Fellowship programme in the respective sub specialty. (5) "Research publication" means only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed Central, Science Citation Index, Citation Index, Expanded Embase, Scopus or Directory of Open Access Journals and other such journals as may be specified by the Commission from time to time; (6) Any faculty having super specialty qualification and serving in a recognised medical institution in a broad specialty department shall be eligible to be a faculty of equivalent cadre of the concerned super specialty department.		
62.	फिजिसिस्ट (रेडियो—डायग्नोसिस)	(क) एम०एस०सी० मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या एम०एस०सी० फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स / मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा, और (ख) मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में पी०एच०डी० (ग) मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रेड— ।। के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव पी०एच०डी० के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ डी०एन०बी० (रेडियेशन ऑन्कोलॉजी) पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हो ।			
63.	रेडियो—थेरेपी	रेडियोथेरेपी में एम०डी०/ डी०एन०बी०* एवं डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त / अनुमत चिकित्सा कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव			
64.	फिजिसिस्ट (रेडियो—थेरेपी)	(क) एम०एस०सी० मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या एम०एस०सी० फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स / मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा और (ख) मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में पी०एच०डी० (ग) मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रेड— ।। के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव पी०एच०डी० के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ डी०एन०बी० (रेडियेशन ऑन्कोलॉजी) पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हो ।			
65.	सर्जिकल आंकोलॉजी	एम०सी०एच०/ डी०एन०बी०* / डीआरएनबी* (सर्जिकल ऑन्कोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो ।			
66.	सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	(1) एम०सी०एच / डी०एन०बी०* / डीआरएनबी* (सर्जिकल गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०एस०/ डी०एन०बी०* जनरल सर्जरी तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है । या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए । (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो ।			
67.	साइकियाट्री	एम०डी०/ डी०एन०बी०* (साइकियाट्री) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट—1 सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों । नोट—2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । नोट—3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । या			● उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित) नोट:— उपर्युक्त समस्त विज्ञापित पदों की रिक्तियों की संख्या परिस्थिति/आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है । चयन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश 1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है । मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता । साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी । 2. कार्मिक अनुभाग—4 की अधिसूचना संख्या—151—आयोग/47—का—4—2023/15/19/18, दिनांक 29.10.2025 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली—2025' तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त हो गयी है । उक्त नियमावली के संगत प्राविधान निम्नवत् है:— (क) सीधी भर्ती से सम्बन्धित सुसंगत सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, आयोग साक्षात्कार के लिये प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है । (ख) जहां स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है वहाँ केवल ऐसे अभ्यर्थी, जो स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्ह हों, आयोग के मानक के अनुसार साक्षात्कार के लिये हकदार होंगे । (ग) अन्तिम योग्यता क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक और साक्षात्कार में 25 प्रतिशत अंक जोड़कर योग्यता अवधारित किया जायेगा ।

(घ) स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर, दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी जैसा आयोग द्वारा नियत किया गया हो। 3. उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें आयोग, द्वारा संचालित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में निम्नलिखित अधिमान दिया जाएगा:—				
क्रम सं0	स्क्रीनिंग परीक्षा में विहित अधिकतम अंक	अधिमान अनुसंधानविद जो 01 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 02 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि पूर्ण कर ली हो
1.	100 अंक तक	1.0 अंक	2.0 अंक	3.0 अंक
2.	101 से 500 अंक तक	1.5 अंक	3.0 अंक	4.5 अंक
3.	501 से 1000 अंक तक	2.0 अंक	4.0 अंक	6.0 अंक
4.	1000 से अधिक	2.5 अंक	5.0 अंक	7.5 अंक
टिप्पणी— अधिमान की गणना हेतु कट-ऑफ का दिनांक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक होगा। 4. स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी:— (a) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1 / 3 अंक (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। (b) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। (c) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। 5. अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धी गोलों को काला करके सही—सही भरे जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर हवाईटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग भी न किया जाए। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। 6. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि स्क्रीनिंग परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता / चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि स्क्रीनिंग परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता / चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।				
महत्वपूर्ण अनुदेश 1. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है। 2. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2026 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या—1648 / 79—5— 2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या— 1508 / 15—08—2015— 3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि, 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक उन्हें सेना से अवमुक्त होना आवश्यक है। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। 3. आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):— आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है, भी इस परीक्षा / चयन के लिये शासनादेश संख्या— 22 / 10 / 1976—कार्मिक—2—1985, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:— (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना / नौ सेना / वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अप्ण्डरेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गयी हो। 4. उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसार— (एक) मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो. उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जायेगा। (दो) कोई अभ्यर्थी, जो अनुसंधानविद के रूप में 01 वर्ष का अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, कोई अभ्यर्थी जो 02 वर्ष का अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे दो वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा और कोई अभ्यर्थी 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा परन्तु आयु सीमा में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से की जाएगी। (तीन) आयु शिथिलीकरण केवल उन्ही अनुसंधानविदों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूर्ण करते समय सरकारी सेवा हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर लिया हो। परन्तु यह कि ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में किसी शिथिलीकरण हेतु पहले से ही पात्र हैं उन्हें कोई पृथक से आयु शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा। 5. आयोग में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। 6. मूल प्रमाण—पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। 7. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। 8. अभ्यर्थी की पात्रता व अन्य के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। 9. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो ब्ज्ज्त् के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी / उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ ब्ज्ज्त् से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी। 10. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के समर्थन में निम्नलिखित मूल—प्रमाण—पत्र / निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण—पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा। 10.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी / हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण—पत्र। 10.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री / डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण। 10.3 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5 / 2022 / 18 / 1 / 2008 / 47 / का—2 / 2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के साथ संलग्न प्रारूप—1 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र। 10.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या— 22 / 21 / 1983—का—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र अपेक्षित होगा। 10.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी / श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /				
पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या— 22 / 16 / 92—टी.सी.—प् / का— 2 / 2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी) / नगर मजिस्ट्रेट / एस.डी.एम. / तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा। 10.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग—2 के पत्रांक 1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का—2 / 19 टी.सी.—।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा। ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण—पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप समस्त स्रोतों से प्राप्त आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। 10.7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र / पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री / पुत्री की पुत्री, विवाहित / अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या— 453 / 79—वि—1—15—1(क) 14—2015 दिनांक 07—04—2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। 10.8 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट—1 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे। नोट:— (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0—5 / 2022 / 18 / 1 / 2008 / 47 / का—2 / 2022, दिनांक—18 अप्रैल 2022 के बिन्दु—5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है— दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्त कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये चिन्हित किया गया हो। (2) शासनादेश संख्या—39 रिट / का—2 / 2019 दिनांक— 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या— 18 / 1 / 99 / का—2 / 2006 दिनांक 09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर—4 में दिये गये प्राविधान, “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य हैं” को रिट याचिका संख्या— 11039 / 2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (नसजत टपतमे) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर—04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या—475 / 2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। 11. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों / अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ / रियायत न लिया गया हो। नोट:— उक्त बिन्दु पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) में योजित स्पेशल अपील संख्या— 233 / 2026 भावना यादव व 06 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व 02 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को स्थगनादेश पारित किया गया है। 12. चयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों / संगत विधियों / प्रभावी शासनादेशों / मा0 आयोग के निर्णयों के अनुमार की जायेगी। 13. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। 14. आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि, O.T.R. तथा Application ID नम्बर का उल्लेख अवश्य करें। 15. अभ्यर्थियों को ऑन—लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा। 16. जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं, वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे। 17. कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस चयन तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम—2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् चयन में लागू रहेंगे। 18. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण—पत्र फर्जी अथवा कूट रचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। 19. अभ्यर्थी को आन—लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के “मेल बॉक्स” से अपनी कठिनाई / समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।				
Detailed Application Form: At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application. Notification Details This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/ department name and post name. Personal Details from OTR This section shows information about candidate's personal details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates. Education & Experience Details It shows your educational and experience details. Declaration segment At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in on-line application form. Being satisfied with filled details click on "Submit" button finally and get the print of submitted application form. [CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE] For other Information candidates are advised to select desired option in the Commission's website https://uppsc.up.nic.in IMPORTANT ANNOUNCEMENT NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS • All Notifications/Advertisements ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION • Candidate Registration • Fee Deposition /Reconciliation • SubmitApplication Form • Modify Submitted Application • Candidate Dashboard (OTR Based) CANDIDATE'S HELP DESK SECTION • Double Verification mode				

View Application Status

Download Admit Card

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

List of Applications Having any Objections

Know your OTR number

View Answer Key

Last Date for Receipt of Applications : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी ग्राम . तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय- समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर. दिनांक पूरा नाम. मुहर पद नाम. जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री निवासी . तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

प्रपत्र-I

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या. दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र / पति / पुत्री. ग्राम / कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री / श्रीमती / कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

प्रपत्र-II

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी ग्राम / कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लॉक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ। 1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। 2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. (शब्दों में) है। 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है। अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता / आती हूँ। 4. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है। I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी। नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें। स्थान :- आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम। उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप) Form-II Certificate of Disability (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in

case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Date:

Certificate No.

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: n locomotor disability n dwarfism n blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member Name and Seal of Member Name and Seal of the Chairperson

Signature and seal of the Medical Authority. (Dr.....) Member Medical Board with seal Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued (Dr.....) Member Medical Board with seal (Dr.....) Chairperson Medical Board with seal Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities) (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Date:

Certificate No.

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/ female Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/ Street Post Office District State , whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N. Disability Affected part of body Diag no sis Permanent physical impairment/ mental disability (in%)

1. Locomotor disability @

2. Muscular Dystrophy

3. Leprosy cured

4. Dwarfism

5. Cerebral Palsy

6. Acid attack Victim

7. Low Vision #

8. Blindness #

9. Deaf £

10. Hard of Hearing £

11. Speech and Language disability

12. Intellectual Disability

13. Specific Learning Disability

14. Autism Spectrum Disorder

15. Mental illness

16. Chronic Neurological Conditions

17. Multiple sclerosis

18. Parkinson's disease

19. Haemophilia

20. Thalassemia

21. Sickle Cell disease

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:- In figures.....percent. In words.....percent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

[illegible]

अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती जिनकी जन्मतिथि है, के द्वारा नियोजन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड..... जनपद.....में दिनांक.....से तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया। नोट: यह प्रमाण-पत्र उ0प्र0 लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित वेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है। दिनांक : विशेष सचिव, नियोजन विभाग	
सचिव	